GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

No.2011/H/6-4/Policy I. **New Delhi, Dated:-18 .09.2015.**

General Managers, All Indian Railways
GM/CAO/DG, All Production Unit including RDSO.

Sub:- Policy on calculation of admissible amount in medical reimbursement cases where the treating hospital has given discount in the final bill.

It has been observed that the Zonal Railways are following different practices while calculating the admissible amount in cases of reimbursement of medical expenses where the treating Hospital has given discount in the final bill. For the sake of uniformity, it has been decided that Railway shall scrutinize the claim as per the extant rules, ignoring the discount given by the hospital to the beneficiary. The admissible amount shall be calculated as per the applicable CGHS rate list. Thereafter, the admissible amount or the actual billed amount paid by the beneficiary (excluding discount) whichever is lower shall be processed for reimbursement. For the sake of clarity, a few illustrations are given in annexure. This is in supplementation to the instructions contained in Board's letter No.2009/H/6-4/Policy dated 09.04.2015.

This Procedure will come into effect prospectively from the date of issue of this letter irrespective of the date of illness of claimant or date of submission of claim. However all those cases which have been already decided, need not be reopened.

(R.S. Shukla)
Joint Director, Health
Railway Board.

No.2011/H/6-4/Policy I. **New Delhi, Dated:- 18.09.2015.**
Copy to:-

I. **CMDs, All Indian Railways.**
II. **CMOs, All Production Units including RDSO.**
III. **FA&CAOs, All Indian Railways and PUs including RDSO.**

(R.S. Shukla)
Joint Director, Health
Railway Board.

No.2014/4/6-1/24. **New Delhi, Dated:18.09.2015.**

Copy to:-

I. **The Principal Director of Audit, All Indian Railways.**
II. **The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.**

For Financial Commissioner/Railways.

Copy to:- F(E) Spl. Branch and Health-1 Branch, Railway Board.

Annexure to letter No.2011/H/6-4/Policy I **Dated: 18.09.2015.**

A few illustrations of procedure to be followed in cases of medical reimbursement where the treating hospital have given discount in the final bill and/or where certain amount may have been reimbursed by a medical insurance company.

Illustration No. I

A. Hospital Bill	: Rs. 10000/-
B. Discount offered by Hospital	: Rs. 1000/-
C. Net Amount Paid by beneficiary to the hospital (A-B)	: Rs. 9000/-
D. Admissible amount at CGHS rate/Railway approved rates	: Rs. 8000/-
E. Amount to be reimbursed (C or D whichever is lower)	: Rs. 8000/-

Illustration No. II

A. Hospital Bill	: Rs. 10000/-
B. Discount offered by Hospital	: Rs. 3000/-
C. Net Amount Paid by beneficiary to the hospital (A-B)	: Rs. 7000/-
D. Admissible amount at CGHS rate/Railway approved rates	: Rs. 8000/-
E. Amount to be reimbursed (C or D whichever is lower)	: Rs. 7000/-

Illustration No. III

A. Hospital Bill	: Rs. 10000/-
B. Discount offered by Hospital	: Rs. 1000/-
C. Net Amount Paid by beneficiary to the hospital (A-B)	: Rs. 9000/-
D. Amount, if any, reimbursed by Insurance co.	: Rs. 2000/-
E. Admissible amount at CGHS rate/Railway approved rates	: Rs. 8000/-
F. Amount to be reimbursed (C-D or E whichever is lower)	: Rs. 7000/-

Illustration No. IV

A. Hospital Bill	: Rs. 10000/-
B. Discount offered by Hospital	: Rs. 1000/-
C. Net Amount Paid by beneficiary to the hospital (A-B)	: Rs. 9000/-
D. Amount, if any, reimbursed by Insurance co.	: Rs. 2000/-
E. Admissible amount at CGHS rate/Railway approved rates	: Rs. 6000/-
F. Amount to be reimbursed (C-D or E whichever is lower)	: Rs. 6000/-

पत्र संख्या 2/2015

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी।

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/महानिदेशक, अअमासं सहित सभी उत्पादन इकाइयां

विषय : चिकित्सा प्रतिपूर्ति के ऐसे मामलों, जहां इलाज करने वाले अस्पताल ने अंतिम बिल में छूट दी है, में स्वीकार्य राशि की गणना करने की नीति।

यह देखा गया है कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के ऐसे मामलों जहां इलाज करने वाले अस्पताल ने अंतिम बिल में छूट दी है, में स्वीकार्य राशि की गणना करते समय अलग-अलग पद्धति अपनाई जा रही है। एकरूपता लाने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि रेलें अस्पताल द्वारा लाभार्थियों को दी गई छूट पर ध्यान दिए बिना मौजूदा नियमों के अनुसार दावे की जांच करेंगी। स्वीकार्य राशि की गणना लागू सीजीएचएस दर सूची के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात, स्वीकार्य राशि अथवा लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक बिल की राशि (छूट छोड़कर) जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी। स्पष्टता के लिए, अनुलग्नक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यह बोर्ड के दिनांक 09.04.2015 के पत्र सं. 2009/एच/6-4/पॉलिसी में निहित अनुदेशों के अनुपूरक के रूप में है।

यह प्रक्रिया दावेकार की बीमारी की तारीख या दावा पेश करने की तारीख पर ध्यान दिए बिना इस पत्र के जारी होने की तारीख से भावी रूप से प्रभावी होगी। बहरहाल, उन सभी मामलों, जिनके संबंध में पहले ही निर्णय हो गया है, को पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(आर. एस. शुक्ला)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी ।

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

I. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें
II. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अअमासं सहित सभी उत्पादन इकाइया
III. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, अअमासं सहित सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(आर. एस. शुक्ला)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी ।

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

I. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।
II. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

पत्र सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी I का अनुलग्नक दिनांक 18.09.2015

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के ऐसे मामलों जहां इलाज करने वाले अस्पताल ने अंतिम बिल में छूट दी है और/या जहां चिकित्सा बीमा कम्पनी द्वारा निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति की गई हो, में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित कुछ उदाहरण :-

उदाहरण 1

क. अस्पताल का बिल	:10000/-रूपए
ख. अस्पताल द्वारा दी गई छूट	: 1000/- रूपए
ग. लाभार्थी द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई शुद्ध राशि (क-ख)	: 9000/- रूपए
घ. सीजीएचएस दर पर स्वीकार्य राशि/रेलवे द्वारा स्वीकृत राशि	: 8000/- रूपए
ड.. प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (ग या घ जो भी कम हो)	: 8000/- रूपए

उदाहरण II

क. अस्पताल का बिल	:10000/- रूपए
ख. अस्पताल द्वारा दी गई छूट	: 3000/- रूपए
ग. लाभार्थी द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई शुद्ध राशि (क-ख)	: 7000/- रूपए
घ. सीजीएचएस दर पर स्वीकार्य राशि/रेलवे द्वारा स्वीकृत राशि	: 8000/- रूपए
ड.. प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (ग या घ जो भी कम हो)	: 7000/- रूपए

उदाहरण III

क. अस्पताल का बिल	:10000/- रूपए
ख. अस्पताल द्वारा दी गई छूट	: 1000/- रूपए
ग. लाभार्थी द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई शुद्ध राशि (क-ख)	: 9000/- रूपए
घ. बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि, यदि कोई हो	: 2000/- रूपए
ड.. सीजीएचएस दर पर स्वीकार्य राशि/रेलवे द्वारा स्वीकृत राशि	: 8000/- रूपए
च. प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (ग – घ या ड. जो भी कम हो)	: 7000/- रूपए

उदाहरण IV

क. अस्पताल का बिल	:10000/- रूपए
ख. अस्पताल द्वारा दी गई छूट	: 1000/- रूपए
ग. लाभार्थी द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई शुद्ध राशि (क-ख)	: 9000/- रूपए
घ. बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि, यदि कोई हो	: 2000/- रूपए
ड.. सीजीएचएस दर पर स्वीकार्य राशि/रेलवे द्वारा स्वीकृत राशि	: 6000/- रूपए
च. प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (ग-घ या ड. जो भी कम हो)	: 6000/- रूपए